रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2005/ज्येष्ठ 26, 1927
No. 261] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2005/JYAISTHA 26, 1927

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2005

सा.का.नि. 399(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची IV में :

(क) क्रम संख्या 17 से 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा:—

बिना बारी (तत्काल) का पासपोर्ट

17. आवेदन के 1-10 कैलेंडर दिवसों के भीतर बिना बारी (तत्काल) का नया पासपोर्ट जारी करना।	पासपोर्ट के लिए लागू पासपोर्ट फीस के अतिरिक्त 1500/-रु०
18. आवेदन के 11-20 कैलेंडर दिवसों के भीतर बिना बारी (तत्काल) का नया पासपोर्ट जारी करना।	पासपोर्ट के लिए लागू पासपोर्ट फीस के अतिरिक्त 1000/-रु०
19. आवेदन के 1-10 कैलेंडर दिवसों के भीतर बिना बारी (तत्काल) का डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना।	डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए लागू पासपोर्ट फीस के अतिरिक्त 2500/-रु०
20. आवेदन की तारीख के 11-20 कैलेंडर दिवसों के भीतर बिना बारी (तत्काल) का डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना।	डुप्लिकेट पासपोर्ट की लागू फीस के अतिरिक्त 1500/-रु०
21. 10/20 वर्षों की वैधता की समाप्ति के बाद के पासपोर्ट पुन: जारी करने के सभी मामलों में चाहे पासपोर्ट उसी पी आई ए अथवा किसी अन्य पी आई ए द्वारा जारी किया गया हो, आवेदन की तारीख के 1-5 दिनों के भीतर जहाँ पासपोर्ट बिना जारी (तत्काल) के पुन: जारी करना हो।	पासपोर्ट की लागू फीस के अतिरिक्त 1500/-रु०

[फा. सं. VI/401/38/98-खण्ड-II]

डॉ. ए. के. अमरोही, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

नोट :— मूल नियमों को दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 की सा.का.नि. सं. 691(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और जिन्हें बाद में निम्नलिखित के अंतर्गत संशोधित किया गया था :—

(i) सा.का.नि. 50 (अ), दिनांक 7-02-1981;
(ii) सा.का.नि. 494 (अ), दिनांक 10-06-1981;
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-06-1982;
(iv) सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 12-04-1983;
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 13-06-1983;
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-06-1983;
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-03-1985;
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 08-11-1985;
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987;
(x) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 11-02-1988;
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988;
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-06-1990;
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-07-1990;
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 04-03-1991;
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-03-1991;
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-06-1991;
(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-01-1992;
(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-06-1992;
(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 07-08-1992;
(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-06-1993;
(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 01-07-1993;
(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-07-1993;
(xxiii) सा.का.नि. 833 (अ), दिनांक 02-12-1994;
(xxiv) सा.का.नि. 592 (अ), दिनांक 07-08-1995;
(xxv) सा.का.नि. 491 (अ), दिनांक 28-08-1997;
(xxvi) सा.का.नि. 605 (अ), दिनांक 05-10-1998;
(xxvii) सा.का.नि. 516 (अ), दिनांक 08-07-1999;
(xxviii) सा.का.नि. 827 (अ), दिनांक 29-12-1999;
(xxix) सा.का.नि. 34 (अ), दिनांक 12-01-2000;
(xxx) सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 22-05-2000;
(xxxi) सा.का.नि. 473 (अ), दिनांक 22-05-2000;
(xxxii) सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 23-05-2000;
(xxxiii) सा.का.नि. 529 (अ), दिनांक 08-06-2000;
(xxxiv) सा.का.नि. 854 (अ), दिनांक 04-07-2000;
(xxxv) सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 25-07-2000;
(xxxvi) सा.का.नि. 482 (अ), दिनांक 28-06-2001;
(xxxvii) सा.का.नि. 527 (अ), दिनांक 13-07-2001;
(xxxviii) सा.का.नि. 576 (अ), दिनांक 02-08-2001;
(xxxix) सा.का.नि. 817 (अ), दिनांक 02-11-2001;
(xl) सा.का.नि. 879 (अ), दिनांक 05-12-2001;
(xli) सा.का.नि. 235 (अ), दिनांक 28-03-2002;
(xlii) सा.का.नि. 429 (अ), दिनांक 23-05-2003.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2005

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24, read with Section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule IV to the Passports Rules, 1980,—

(a) for serial numbers 17 to 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Out of turn (Tatkaal) Passport :

17.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) Passport within 1-10 calendar days of the application	Rs. 1500 *plus* the passport fee as applicable
18.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) Passport within 11-20 calendar days of the date of application	Rs. 1000 *plus* the passport fee as applicable
19.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport within 1-10 calendar days of the date of application	Rs. 2500 *plus* the duplicate passport fee as applicable
20.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport between 11-20 calendar days of the of application	Rs. 1500 *plus* the duplicate passport fee as applicable
21.	In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years validity, either issued from same PIA or some other PIA, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal) within 1-5 days of the date of application	Rs. 1500 *plus* fee as applicable.

[F. No. VI/401/38/98-Vol. II]

Dr. A. K. AMROHI, Jt. Secy. (CPV)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide :—

(i) G.S.R. 50(E), dated 7-2-1981;

(ii) G.S.R. 494(E), dated 10-6-1981;

(iii) G.S.R. 469(E), dated 24-6-1982;

(iv) G.S.R. 325(E), dated 12-4-1983;

(v) G.S.R. 482(E), dated 13-6-1983;

(vi) G.S.R. 494(E), dated 16-6-1983;

(vii) G.S.R. 345(E), dated 29-3-1985;

(viii) G.S.R. 860(E), dated 8-11-1985;

(ix) G.S.R. 857(E), dated 13-10-1987;

(x) G.S.R. 84(E), dated 11-12-1988;

(xi) G.S.R. 1155(E), dated 21-11-1988;

(xii) G.S.R. 622(E), dated 27-6-1990;

(xiii) G.S.R. 653(E), dated 20-7-1990;

(xiv) G.S.R. 100(E), dated 4-3-1991;

(xv) G.S.R. 275(E), dated 20-3-1991;

(xvi) G.S.R. 586(E), dated 21-6-1991;

(xvii) G.S.R. 111(E), dated 22-1-1992;

(xviii) G.S.R. 684(E), dated 15-6-1992;

(xix) G.S.R. 721(E), dated 7-8-1992;

(xx) G.S.R. 477(E), dated 16-6-1993;

(xxi) G.S.R. 485(E), dated 1-7-1993;

(xxii) G.S.R. 503(E), dated 10-7-1993;

(xxiii) G.S.R. 833(E), dated 2-12-1994;

(xxiv) G.S.R. 592(E), dated 7-8-1995;

(xxv) G.S.R. 491(E), dated 28-8-1997;

(xxvi) G.S.R. 605(E), dated 5-10-1998;

(xxvii) G.S.R. 516(E), dated 8-7-1999;

(xxviii) G.S.R. 827(E), dated 29-12-1999;

(xxix) G.S.R. 34(E), dated 12-01-2000;

(xxx) G.S.R. 472(E), dated 22-05-2000;

(xxxi) G.S.R. 473(E), dated 22-5-2000;

(xxxii) G.S.R. 485(E), dated 23-5-2000;

(xxxiii) G.S.R. 529(E), dated 8-6-2000;

(xxxiv) G.S.R. 584(E), dated 04-07-2000;

(xxxv) G.S.R. 632(E), dated 25-07-2000;

(xxxvi) G.S.R. 482(E), dated 28-06-2001;

(xxxvii) G.S.R. 527(E), dated 13-07-2001;

(xxxviii) G.S.R. 576(E), dated 2-08-2001;

(xxxix) G.S.R. 817(E), dated 2-11-2001;

(xl) G.S.R. 879(E), dated 5-12-2001;

(xli) G.S.R. 235(E), dated 28-03-2002;

(xlii) G.S.R. 429(E), dated 23-05-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.